

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

राजजीलाल बनारस डालचन्द  
मु.नं. 1912 (सिद्धि)

18-2-25 पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य हेतु  
हार्दमोर्ट जयपुर पवारे जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो  
सका। फावली पूर्वानुसार दिनांक 18-3-25 को  
पेश हो।

18/3/25 फावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।  
पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से  
आदेश नहीं लिखा जा सका। फावली पूर्वानुसार  
वास्तव आदेश दिनांक 8/5/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)

8/5/25 फावली पेश हुई। फसलान को धर-2  
आवाज क्लिपर्स गई। उभय पक्ष अनुपस्थित।  
फावली का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 639,  
640, 642 (जिन खसरो से प्रार्थी रास्ता चाहता है) पर  
न्यायालय राजस्व अधिकारी उपखण्ड मण्डावर तथा सिविल  
न्यायालय मद्रा के द्वारा विचाराधीन प्रकरणों में उक्त  
खसरो के रिकार्ड राजस्व एवं मोटे की प्रधारितता को ध्यान  
रखने के स्थान आदेश दिये गये हैं। स्थान आदेश  
प्रभावी होने के कारण फावली में अग्रिम कार्यवाही किया  
जाना संभव नहीं है। इसलिए फावली में कार्यवाही को  
उक्त स्थान आदेशों से अंतिम निर्णय पारित होने तक  
स्थगित किया जाता है। फावली उक्त स्थान आदेशों  
में अंतिम निर्णय पारित होने पर पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)